



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों के प्रबंध समिति की बैठक में भाग लेने से
संबंधित आवश्यक सूचना**

विज्ञप्ति संख्या - 24/2018

सरकार के प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 129/P.S.Cell दिनांक 19.03.2018 द्वारा निदेश प्राप्त हुआ है कि झारखण्ड विधान सभा की निवेदन, शून्य काल एवं गैर सरकारी संकल्प के सभापति महोदय द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रायः प्रबंध समिति की बैठकों में सरकारी पदाधिकारी भाग नहीं लेते हैं जिससे विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है।

अतः एतद् द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय के प्रबंध समिति सदस्यों के साथ संबंधित समिति के सरकारी पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों के प्रबंध समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया जाय एवं समिति को सरकारी नियमों के अनुरूप निर्णय लेने में सहयोग किया जाय।

**अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (रजनीकांत वर्मा)**

JAC/वि.स्था./2468/15-SECY/244/18
Dt. 12.04.2018
D.O.P- 13.04.2018

**सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।**

